



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 314]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

सा.का.नि. 473(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 789 (अ), तारीख 19 अक्तूबर, 2015 द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिससे प्रारूप नियमों से युक्त उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 19 अक्तूबर, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (पाँचवां संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 123 के प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु यह कि 1 अक्तूबर, 2016 को या उसके पश्चात् कोई हल्का भार आधान किसी मोटर साइकिल पर फिट किया जा सकता है परंतु उसे निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी :

- आधान का आकार 550 मि.मी. लम्बाई, 510 मि.मी. चौड़ाई और 500 मि.मी. उंचाई से अधिक नहीं होगा ;
- आधान का भार जिसके अंतर्गत उसकी मढ़ाई और आधान में वहन किए जाने वाला भार भी है, 30 कि.ग्रा. से अधिक नहीं होगा;
- यदि ऐसा आधान को पिछली सवारी दिक्स्थान पर फिट किया जाता है तो किसी पिछली सवारी को अनुज्ञात नहीं की जाएगी :

परंतु यह कि आधान का भार जिसके अंतर्गत उसकी मढ़ाई और आधान में वहन किए जाने वाला भार भी है, यान विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट और साथ ही नियम 126 में निर्दिष्ट जांच एजेन्सी द्वारा अनुमोदित कि.ग्रा. सकल यान भार के भीतर अनुज्ञेय होगा ;

- (iv) यदि ऐसा आधान को पिछली सवारी दिक् स्थान के पीछे फिट किया जाता है तो किसी पिछली सवारी को आसीन होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए :

परंतु यह कि पिछली सवारी का भार और आधान का भार जिसके अंतर्गत उसकी मढ़ाई और आधान में वहन किए जाने वाला भार भी है, यान विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट और साथ ही नियम 126 में निर्दिष्ट जांच एजेन्सी द्वारा अनुमोदित कि.ग्रा. सकल यान भार के भीतर अनुज्ञेय होगा।"

[सं. आरटी-11036/53/2012-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.....(अ) तारीख. द्वारा अन्तिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2016

G.S.R. 473(E).— Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 789(E), dated the 19th October, 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the said notification containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 19th October, 2015;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereafter referred as the said rules), in rule 123, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that on and after 1st October, 2016, a light weight container may be fitted on a motorcycle provided it meets the following requirements:

- (i) the dimensions of the container shall not exceed 550 mm in length, 510 mm in width and 500 mm in height;
- (ii) weight of the container including its mounting and the load carried in the container shall not exceed 30 kgs;
- (iii) if such container is fitted on the pillion rider space, then no pillion rider shall be allowed:

Provided that the weight of container including its mounting and the load carried in the container, shall be within the permissible Gross Vehicle Weight in kg, specified by the vehicle manufacturer and also approved by the test agency referred to in rule 126;

- (iv) if such container is fitted behind the pillion rider space then no pillion rider should be allowed to be seated:

Provided that the weight of the pillion rider, and weight of the container including its mounting and the load carried in the container, shall be within permissible Gross Vehicle Weight in kg, specified by the vehicle manufacturer and also approved by the test agency referred to in rule 126.”.

[No. RT-11036/53/2012-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. ____ (E) dated _____.

IndiaCode